कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प–जि.न्याया. / लेखा / नवीन क्रय / 2024–25 / 3169 दिनांक : 15/02/2025

मै0 आइकॉन सोल्यूशन,
शॉप संख्या–06, कलावती पालीवाल मार्केट,
गुमानपुरा, कोटा
दूरभाष नंबर 0744–2392370, 9414178606

क्रयादेश
RTPP नियम–70

विषयः– कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा के संस्थापन हेतु नवीन आइटम क्रय की निविदा स्वीकार की जाकर फोटो कॉपियर मशीन का आपूर्ति आदेश दिए जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– इस न्यायालय की खुली निविदा सूचना संख्या 02 / 2014–25 दिनांक 29.01.2025 (UBN No. CJK2425GSOB00002)

विषयानुसार प्रासंगिक निविदा **कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा के संस्थापन हेतु नवीन आईटम क्रय** के अनुक्रम में आपकी फर्म की **फोटो कॉपियर मशीन की निविदत्त दरें तकनीकी पात्रता कसौटी के अनुरूप उपयुक्त एवं न्यूनतम** प्राप्त होने से क्रय समिति द्वारा अनुमोदित एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत करने उपरान्त सफल बोली का अधिनिर्णय जारी किया जाकर, निविदत्त एवं अनुमोदित दर पर निविदा स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार **कुल राशि रूपए 71300/– अक्षरे रूपए इक्हत्तर हजार तीन सौ मात्र** की निम्नांकित विगतनुसार आपूर्ति आदेश RTPP Act-2012 एवं नियम–2013 के प्रावधानानुसार अन्दर 30 दिवस में निम्नांकित विवरण एवं शर्तों के अनुसार करने हेतु जारी किया जाता है:–

क्र.सं.	सामग्री मय स्पेसिफिकेशन	मात्रा	स्वीकृत	कुल राशि	विशेष विवरण (वारंटी)
1.	**फोटो कॉपियर मशीन** Must be of Reputed brand Copies per Minute: 20-24 Page Per Minute Input Tray: Standerd + By Pass Tray Document Feeder: DADF/RADF Conncectivity: USB, Ethernet, Wireless Media Supported: 60-150 GSM Memory (RAM): 1 GB and Higher Storage: 2 GB OS Compatibility: Windows, Linux: CUPS, LPD(x86/x64) Supported Make-**Canon IR2224N**	01	71300/–	**71300/–**	**एक वर्ष**
	TOTAL अक्षरे रूपए इक्हत्तर हजार तीन सौ मात्र			**71300/–**	

आपूर्ति आदेश की शर्तें:–

1. उपर्युक्त सामग्री क्रय समिति द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं निविदा की आपूर्ति शर्तों के अनुरूप **क्रयादेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर** आपूर्ति जिला न्यायालय परिसर, कोटा में की जाकर भुगतान हेतु बिल नामित न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा (42946)** के नाम से दो प्रति में नामित न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. उक्त सामग्री का भुगतान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसरण में सम्बन्धित न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा (42946) के लेखाशीर्षक 2014–00–105–19–01 की सुसंगत विस्तृत इकाई–05 कार्यालय व्यय में प्रावधित पूल बजट के अध्यधीन नामित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।**
3. **बोली की विधि मान्यता अवधि RTPP नियम–2013 के नियम–48(1) के अनुसार 90 दिवस तक विधि मान्य होगी** तथा RTPP नियम–73(2) के अनुसार अतिरिक्त मदों या परिणाम के लिए पुनरादेश दिया जा सकेगा एवं प्रदाय पूर्ण होने की कालावधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुमोदित / स्वीकृत दर 31.03.2025 तक मान्य होगी।
4. बोली स्वीकृति की सूचना अथवा क्रयादेश जारी करने की तिथि से सात दिवस में RTPP नियम–70(7) सपठित 76(2) के अनुसार **अपेक्षित मूल्य रूपए 500/– के न्यायिकेत्तर (N.J.) स्टाम्प पर SR प्ररूप–17 (प्रति संलग्न) में एक करार निष्पादित कर,** क्रयादेश राशि की लगभग पूर्णांकित 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि 3600/– को पूर्व में निविदा के साथ प्रस्तुत बोली प्रतिभूति (E.M.D.) राशि रूपए 5100/– से प्रतिस्थापित करवाने हेतु **नवीन डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि 3600/– रूपये का "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा" के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में प्रस्तुत बोली प्रतिभूति (E.M.D.) राशि को प्रतिस्थापित नहीं करवाने की स्थिति में उक्त बोली प्रतिभूति (E.M.D.) राशि को ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) के पेटे समायोजित करते हुए स्वस्फूर्त ही प्रतिस्थापित कर लिया जावेगा। उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी। सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।**
5. फर्म द्वारा बिड में अंकितानुसार वास्तविक विनिर्माता (मेक) की सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। एसेम्बल्ड प्रोडक्ट क्रय हेतु स्वीकार नहीं किए जावेंगे। छदम अथवा नकली प्रोडक्ट की आपूर्ति पाऐ जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

6. फर्म द्वारा बिल में सामग्री के साथ दी जाने वाली **आवश्यक गारंटी/वारंटी का उल्लेख** करना होगा।
7. वर्णित सामान की **आपूर्ति बोली स्वीकार करने/क्रयादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर की जावेगी। उक्त अवधि में ही करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी।** विहित परिदत्त अवधि में सप्लायर जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा सा. वि. ले. नियम भाग–II के नियम–58(3) के अनुसार **परिनिर्धारित नुकसान (L.D.) की वसूली/कटौती की जावेगी** तथा संविदा शर्तों को भंग करने की स्थिति में RTPP नियम–2013 के नियम–42(11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (E.M.D.) राशि जब्त करने तथा नियम–76(3) में प्रावधितानुसार सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध RTPP अधिनियम–2012 तथा नियम–2013 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपापन संस्था अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को आपूर्ति प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।
8. **आवश्यक होने पर GST व TDS की कटौती उपापन संस्था/नामित न्यायालय के स्तर पर की जाकर, भुगतान किया जा सकेगा।**
9. **उक्त कार्यादेश पर राज. लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 के समस्त प्रावधान एवं सा. वि. ले. नि. भाग–II के S.R. प्ररूप–16 की समस्त शर्तें यथा उपान्तरण सहित प्रभावी होंगी।**
10. सप्लायर फर्म द्वारा आपूर्ति से सम्बंधित **किसी भी प्रकार के संदेह एवं मन्शा का समाधान/स्पष्टता** करार पत्र निष्पादित करने से पूर्व उपापन संस्था से किया जा सकता है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
11. **फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति की पुष्टि होने के बाद, नामित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा (42946) द्वारा ऑन लाइन ECS/NEFT पद्धति से भुगतान बजट उपलब्धता के अध्यधीन फर्म के बैंक खाते में अन्तरित किया जावेगा।**
12. फर्म द्वारा प्रेषित भुगतान बिल पर अथवा अलग से बैंक खाता संख्या, बैंक नाम, IFSC कोड, पेन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
13. **सप्लायर फर्म द्वारा वारंटी अवधि [फोटो कॉपियर मशीन की एक वर्ष] में ऑन साइट स्वस्फूर्त निःशुल्क सर्विस उपलब्ध करवानी होगी।**
14. कार्य सम्पादन प्रतिपूर्ति (SD) वारंटी अवधि बिना त्रुटि दायित्व के संतोषप्रद रूप से समाप्त होने पर लौटाई जावेगी।
15. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा मुख्यालय होगा।

संलग्न–करार पत्र (SR-17)

अध्यक्ष, उपापन समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प–जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/2024–25/3170-3178 दिनांक 15/02/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, **राजस्थान उच्च न्यायालय,** जोधपुर को उनसे प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक III/(1)बी/बजट/2024–25/149/5913–23 दिनांक 13.01.2025 के अनुसरण में।
2. सम्बन्धित न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांगोद, जिला कोटा** को क्रयादेश में अंकित मात्रानुसार आपूर्ति, केन्द्रीयकृत नजारत शाखा के माध्यम से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म से यथासमय प्राप्त कर, माल प्राप्ति की पुष्टि जिला न्यायालय, कोटा को भिजवाकर आपूर्तिकर्ता फर्म को अपने न्यायालय के लेखाशीर्षक 2014–00–105–19–01 की सुसंगत विस्तृत इकाई–05 कार्यालय व्यय में इस प्रयोजन (नवीन आइटम) हेतु प्राप्त बजट से अपने स्तर से यथासमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी **(नजारत)** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को अपने स्तर से उचित हस्तक्षेप कर, आपूर्तिकर्ता फर्म से क्रय मदों की आपूर्ति **नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा को यथासमय हस्तगत करवाने हेतु।**
4. प्रभारी अधिकारी, **(स्थापना)/(लेखा),** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा।
5. कोषाधिकारी, **कोष कार्यालय, कोटा**/उपकोषाधिकारी, **सांगोद**।
6. **सहायक नाजिर,** केन्द्रीयकृत नजारत शाखा, जिला न्यायालय, कोटा को क्रयादेश में अंकित मात्रानुसार आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री प्राप्त कर, सम्बन्धित न्यायालय को हस्तगत करवाने हेतु।
7. **सिस्टम ऑफिसर,** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को उक्त क्रयादेश मय तुलनात्मक विवरण पत्र S.P.P.P. पोर्टल व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।

अध्यक्ष, उपापन समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प–जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/2024–25/3179 दिनांक : 15/02/25

मै0 ओम कम्प्यूटर,
22–सी फर्स्ट फ्लोर,
फोटोमेक के सामने,
शॉपिंग सेन्टर, कोटा
दूरभाष नंबर 9829037671

क्रयादेश
RTPP नियम–70

विषयः– कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा के संस्थापन हेतु नवीन आइटम क्रय की निविदा स्वीकार की जाकर कम्प्यूटर (डेस्कटॉप), यू.पी.एस. (600VA) व प्रिन्टर (लेजर) का आपूर्ति आदेश दिए जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– इस न्यायालय की खुली निविदा सूचना संख्या 02/2014–25 दिनांक 29.01.2025 (UBN No. CJK2425GSOB00002)

विषयानुसार प्रासंगिक निविदा **कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा के संस्थापन हेतु नवीन आईटम क्रय** के अनुक्रम में आपकी फर्म की **कम्प्यूटर (डेस्कटॉप), यू.पी.एस. (600VA) व प्रिन्टर (लेजर)** की निविदत्त दरें तकनीकी पात्रता कसौटी के अनुरूप उपयुक्त एवं **न्यूनतम** प्राप्त होने से क्रय समिति द्वारा अनुमोदित एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत करने उपरान्त सफल बोली का अधिनिर्णय जारी किया जाकर, निविदत्त एवं अनुमोदित दर पर निविदा स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार **कुल राशि रूपए 169293/– अक्षरे रूपए एक लाख उनहत्तर हजार दो सौ तिरानवे मात्र** की निम्नांकित विगतनुसार आपूर्ति आदेश RTPP Act-2012 एवं नियम–2013 के प्रावधानानुसार अन्दर 30 दिवस में निम्नांकित विवरण एवं शर्तों के अनुसार करने हेतु जारी किया जाता हैः–

क्र.सं.	सामग्री मय स्पेसिफिकेशन	मात्रा	स्वीकृत	कुल राशि	विशेष विवरण (वारंटी)
1.	**कप्यूटर (डेस्कटॉप)** Processor-x86 Processor i.e. Intel I5 12000 Series and Higher, OS- (Ubuntu) DOS RAM- 8GB DDR-4 320000Mhz or Higher Storage :512GB SSD or Higher, Network: Integrated Giigabit Ethernet Controller with RJ- 45 Connector, External Port : 2 USB 2.0 and 2 USB 3.0 and Higher, 1 HDMI Port Display-19.5"and Higher LCD/TFT Mouse&Keyboard: Standard OEM Keyboard and Mouse Make-**ACER Variton M200-H610**	03	41200/–	**123600/–**	एक वर्ष
2.	**प्रिन्टर (लेजर)** Type- Laser Printer, DUPLEX USB Connectivity, Network enable Copy Speed-29 Page Per Minute Make-**Canon BP 122dw**	03	13287/–	**39861/–**	एक वर्ष
3.	**यू.पी.एस. (600 VA)** 600 VA UPS, 3 Power Socket, Backup 10-15Mintues, Input Voltage 140-270V, 47-53 hZ Make- **Vertiv cx600VA**	03	1944/–	**5832/–**	एक वर्ष
	TOTAL अक्षरे रूपए एक लाख उनहत्तर हजार दो सौ तिरानवे मात्र			**169293/–**	

आपूर्ति आदेश की शर्तेः–

1. उपर्युक्त सामग्री क्रय समिति द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं निविदा की आपूर्ति शर्तों के अनुरूप **क्रयादेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर** आपूर्ति जिला न्यायालय परिसर, कोटा में की जाकर भुगतान हेतु बिल नामित न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा (42946)** के नाम से दो प्रति में नामित न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. उक्त सामग्री का भुगतान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसरण में सम्बन्धित न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा (42946) के लेखाशीर्षक 2014–00–105–19–01 की सुसंगत विस्तृत इकाई–05 कार्यालय व्यय में प्रावधित पूल बजट के अध्यधीन नामित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।**
3. **बोली की विधि मान्यता अवधि RTPP नियम–2013 के नियम–48(1) के अनुसार 90 दिवस तक विधि मान्य होगी** तथा RTPP नियम–73(2) के अनुसार अतिरिक्त मदों या परिणाम के लिए पुनरादेश दिया जा सकेगा एवं प्रदाय पूर्ण होने की कालावधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। निविदा स्वीकृति के पश्चात् अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.2025 तक मान्य होगी।
4. बोली स्वीकृति की सूचना अथवा क्रयादेश जारी करने की तिथि से सात दिवस में RTPP नियम–70(7) सपठित 76(2) के अनुसार **अपेक्षित मूल्य रूपए 500/– के न्यायिकेत्तर (N.J.) स्टाम्प पर SR प्ररूप–17 (प्रति संलग्न) में एक करार निष्पादित कर,** क्रयादेश राशि की लगभग पूर्णांकित 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि 8500/– को पूर्व में निविदा के साथ प्रस्तुत बोली प्रतिभूति (E.M.D.) राशि रूपए

5100/– को समायोजित करते हुए अन्तर राशि रूपये 3400/– जरिये **नवीन डिमाण्ड ड्राफ्ट "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा" के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी। सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।**

5. फर्म द्वारा बिड में अंकितानुसार वास्तविक विनिर्माता (मेक) की सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। एसेम्बल्ड प्रोडक्ट क्रय हेतु स्वीकार नहीं किए जावेंगे। छदम अथवा नकली प्रोडक्ट की आपूर्ति पाऐ जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
6. फर्म द्वारा बिल में सामग्री के साथ दी जाने वाली **आवश्यक गारंटी/वारंटी का उल्लेख** करना होगा।
7. वर्णित सामान की **आपूर्ति बोली स्वीकार करने/क्रयादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर की जावेगी। उक्त अवधि में ही करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी।** विहित परिदत्त अवधि में सप्लायर जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा सा. वि. ले. नियम भाग–II के नियम–58(3) के अनुसार **परिनिर्धारित नुकसान (L.D.) की वसूली/कटौती की जावेगी** तथा संविदा शर्तों को भंग करने की स्थिति में RTPP नियम–2013 के नियम–42(11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (E.M.D.) राशि जब्त करने तथा नियम–76(3) में प्रावधितानुसार सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध RTPP अधिनियम–2012 तथा नियम–2013 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपापन संस्था अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को आपूर्ति प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।
8. **आवश्यक होने पर GST व TDS की कटौती उपापन संस्था/नामित न्यायालय के स्तर पर की जाकर, भुगतान किया जा सकेगा।**
9. **उक्त कार्यादेश पर राज. लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 के समस्त प्रावधान एवं सा. वि. ले. नि. भाग–II के S.R. प्ररूप–16 की समस्त शर्तें यथा उपान्तरण सहित प्रभावी होंगी।**
10. सप्लायर फर्म द्वारा आपूर्ति से सम्बंधित **किसी भी प्रकार के संदेह एवं मन्शा का समाधान/स्पष्टता** करार पत्र निष्पादित करने से पूर्व उपापन संस्था से किया जा सकता है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
11. **फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति की पुष्टि होने के बाद, नामित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा (42946) द्वारा ऑन लाइन ECS/NEFT पद्धति से भुगतान बजट उपलब्धता के अध्यधीन फर्म के बैंक खाते में अन्तरित किया जावेगा।**
12. फर्म द्वारा प्रेषित भुगतान बिल पर अथवा अलग से बैंक खाता संख्या, बैंक नाम, IFSC कोड, पेन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
13. **सप्लायर फर्म द्वारा वारंटी अवधि [कम्प्यूटर (डेस्कटॉप), प्रिन्टर (लेजर) व यू.पी.एस. (600VA) की एक वर्ष] में ऑन साइट स्वस्फूर्त निःशुल्क सर्विस उपलब्ध करवानी होगी।**
14. कार्य सम्पादन प्रतिपूर्ति (SD) वारंटी अवधि बिना त्रुटि दायित्व के संतोषप्रद रूप से समाप्त होने पर लौटाई जावेगी।
15. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा मुख्यालय होगा।

संलग्न–करार पत्र (SR-17)

अध्यक्ष, उपापन समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प–जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/2024–25/3180–3188 दिनांक 15/02/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, **राजस्थान उच्च न्यायालय,** जोधपुर को उनसे प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक III/(1)बी/बजट/2024–25/149/5913–23 दिनांक 13.01.2025 के अनुसरण में।
2. सम्बन्धित न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांगोद, जिला कोटा** को क्रयादेश में अंकित मात्रानुसार आपूर्ति, केन्द्रीयकृत नजारत शाखा के माध्यम से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म से यथासमय प्राप्त कर, माल प्राप्ति की पुष्टि जिला न्यायालय, कोटा को भिजवाकर आपूर्तिकर्ता फर्म को अपने न्यायालय के लेखाशीर्षक 2014–00–105–19–01 की सुसंगत विस्तृत इकाई–05 कार्यालय व्यय में इस प्रयोजन (नवीन आइटम) हेतु प्राप्त बजट से अपने स्तर से यथासमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी **(नजारत)** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को अपने स्तर से उचित हस्तक्षेप कर, आपूर्तिकर्ता फर्म से क्रय मदों की आपूर्ति **नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला कोटा को यथासमय हस्तगत करवाने हेतु।**
4. प्रभारी अधिकारी, **(स्थापना)/(लेखा),** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा।
5. कोषाधिकारी, **कोष कार्यालय, कोटा**/उपकोषाधिकारी, **सांगोद**।
6. **सहायक नाजिर,** केन्द्रीयकृत नजारत शाखा, जिला न्यायालय, कोटा को क्रयादेश में अंकित मात्रानुसार आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री प्राप्त कर, सम्बन्धित न्यायालय को हस्तगत करवाने हेतु।
7. **सिस्टम ऑफिसर,** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को उक्त क्रयादेश मय तुलनात्मक विवरण पत्र S.P.P.P. पोर्टल व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।

अध्यक्ष, उपापन समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा